न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र नम्बर मुकदमा **22/2017**

अनवान :–

श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री राजाराम पुत्र श्री डूंगरराम गौदारा मैसर्स दुर्गा जनरल स्टोर स्टेशन रोड़, अरजनसर, लूणकरणसर जिला बीकानेर
2. श्री मोहित गोयल पुत्र श्री पवन कुमार गोयल– मैसर्स वेणू गोपाल डिस्ट्रीब्यूटरस ए–62 प्रेमनगर श्रीगंगानगर
3. श्री गौरव तनेजा पुत्र श्री आत्म प्रकाश तनेजा निवासी 59–ए कुंजलाल गार्डन शांति नगर हिसार हरियाणा। मैसर्स तनेजा मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडेक्टस प्रा.लि., 4 माईल स्टोर. सिरसा रोड़, टी.टी.सी.के पास हिसार

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से – श्री महमूद अली खा.सु.अ.
2. अप्रार्थीगणों की ओर से – श्री विजय पारीक, अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक 24.06.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 28.08.2016 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स दुर्गा जरनल स्टोर स्टेशन रोड़,गांव अरजनसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर के यहां निरीक्षण दौरान आमजन बिक्री हेतु प्लास्टिक के डिब्बों में पैकड 500 एमएल के 5 पैकेट घी (हरियाणा किंग्स) रखा था। जिसका बैच संख्या HRK 103 पैकिंग दिनांक अगस्त 2016 तथा उत्पादन स्थल मैसर्स तनेजा मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडेक्टस प्रा.लि. 4 माईल स्टोन टी.टी.सी. के पास सिरसा रोड़ हिसार (हरियाणा) अंकित था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक्ड 500 एमएल के 5 पैकेट घी (हरियाणा किंग्स) में से प्रत्येक 500 एमएल के 4 पैकेट जिसकी कुल कीमत 780/– रूपये में नगद खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। तदन्तर प्राप्त नमूना घी (हरियाणा किंग्स) पर लैबल तैयार कर उस पर विक्रेता,गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये तथा चारों पर एक–एक लेबल फार्म गोंद से चिपकाया व प्रत्येक पैकेटों पर मोटा मजबूत खाकी कॉगज लपैट कर गोंद चिपका कर प्रत्येक पैक्ड नमूना पर डीओ/सीएमएचओ द्वारा जारी पेपर स्लिप जे– 1241 हस्ताक्षरित थी, को बोटम टू टोप प्रक्रिया द्वारा गोंद से चिपकाया तथा नियमानुसार प्रत्येक पैक्डस को सील चपड़ी कर प्रत्येक को पेपर स्लिप को गोंद से चिपकाया जिस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने किये। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे पढ़कर, पढ़ाकर समझा कर विक्रेता,गवाह एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त सील्ड नमूना भाग में से एक सीलबन्द नमूना भाग मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 01.09.2016 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें घी (हरियाणा किंग्स)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

अनसेफ स्तर का पाया गया । तदन्तर अप्रार्थी के निवेदन पर इस घी (हरियाणा किंग्स) की स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पूना से पुनः जांच करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 09.01.2017 की जांच में सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी (हरियाणा किंग्स) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों की ओर से श्री विजय पारीक एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया।

3. अप्रार्थी पक्ष का जवाब है कि प्रार्थी खासुअ द्वारा प्रस्तुत परिवाद विधि अनुरूप नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय स्टाफ अप्रार्थी संख्या 1 को सैंपरिलंग हेतु कोई नोटिस नहीं दिया। बल्कि अप्रार्थी सं. 1 को धमकाते हुए घी(हरियाणा किंग्स) की पैंकिंग प्राप्त की। उसका खरीद मूल्य ही नहीं चुकाया। खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवायें थे। खाद्य पदार्थ घी(हरियाणा किंग्स) के पैकेट खरीद करना बताया है उसके संबंध में विक्रेता फर्म का कोई भी खरीद बिल परिवाद में प्रस्तुत नहीं किया है। केवल मात्र अपने द्वारा टाईपशुदा रसीद प्रस्तुत की है। गवाहों के सामने सैंपल सील मोहर कर चपडी नहीं लगायी ना ही उक्त सैंपल में किसी प्रकार का कैमिकल डाला गया। लेबल फार्म किस दिनांक को व कहां से जारी करवाया है उसका अंकन पत्रावली में नहीं किया। केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में सैम्पल किस दिनांक में जमा करवाया तथा जमा नहीं होने तक किस स्थिति में व किसकी कस्टडी में रहा कोई उल्लेख पत्रावली पर अंकित नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एफएसएस एक्ट के प्रावधानों की पूर्ण पालना किए बिना अपने ऑफिस में बैठकर सैपलिंग की समस्त कार्यवाही की एवं दस्तावेज तैयार किए है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध करायी और ना ही अप्रार्थी को कोई पत्र प्रेषित किया। बल्कि अप्रार्थीगण ने अपने स्तर पर उक्त जांच रिपोर्ट का पता लगाया तथा पुनः केन्द्रीय प्रयोगशाला में सैम्पलशुदा पदार्थ की जांच करवाने हेतु भिजवाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो फूड एनालाईसिसं की रिपोर्ट परिवार के साथ प्रस्तुत की यी है, उसके अनुसार उक्त पदार्थ सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। जिसका रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ किस प्रकार सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है, का कोई उल्लेख नहीं किया है। सैम्पल शुदा पदार्थ की दो बार प्रयोगशाला में जांच हुई है और दोनों बार अलग–अलग तरह की रिपोर्ट आयी है। दोनों प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट अलग–अलग होने के कारण दोनों रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ मिलावटी नहीं पाया गया है और ना ही किसी प्रकार से जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना पाया गया है। केवल मात्र सबस्टेण्डर्ड होना बताया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विधि विरूद्ध एवं आधा–अधूरा परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थीगणों को दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान करें।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से घी (हरियाणा किंग्स) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई । मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां घी (हरियाणा किंग्स) अनसेफ पाया गया। तदन्तर डायरेक्टर, रेफरेल फूड लेबोरेटी, पुणे के यहां से भी जांच करवाई गई जिसमें घी (हरियाणा किंग्स) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। जिसकी रिपोर्ट क्रमांक CFL/PO-390/16/31/2017 दिनांक 09.01.2017 अनुसार Butyro refractometer reading 40.0 to 43.0 की तुलना में 46.7 व Reichert Value Shall be Min. 26.0 की तुलना में 8.88 तथा Baudouin Test - Shall be Negative की तुलना में Positive पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां घी (हरियाणा किंग्स) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

6. अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे बहस में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय स्टाफ अप्रार्थी संख्या 1 को सैंपलिंग हेतु कोई जानकारी नहीं दी ना ही लिखित/मौखिक नोटिस दिया। बल्कि अप्रार्थी सं. 1 को धमकाते हुए घी(हरियाणा किंग्स) की पैंकिंग प्राप्त की। जिसका मूल्य नहीं चुकाया। खाद्य पदार्थ घी(हरियाणा किंग्स) के पैकेट खरीद करना बताया है उसके संबंध में विक्रेता फर्म का कोई भी खरीद बिल परिवाद में प्रस्तुत नहीं किया है। केवल मात्र अपने द्वारा टाईपशुदा रसीद प्रस्तुत की है। गवाहों के सामने सैंपल सील मोहर कर चपडी नहीं की और ना ही कैमिकल डाला गया। लेबल फार्म किस दिनांक को व कहां से जारी करवाया है, का अंकन नहीं है केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में सैम्पल किस दिनांक में जमा करवाया तथा जमा नहीं होने तक किस स्थिति में व किसकी कस्टडी में रहा कोई उल्लेख पत्रावली पर नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एफएसएस एक्ट के प्रावधानों की पूर्ण पालना किए बिना अपने ऑफिस में बैठकर सैपलिंग की समस्त कार्यवाही की एवं दस्तावेज तैयार किए है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी और ना ही अप्रार्थी को कोई पत्र प्रेषित किया। बल्कि अप्रार्थीगण ने अपने स्तर पर उक्त जांच रिपोर्ट का पता लगाया तथा पुनः केन्द्रीय प्रयोगशाला में सैम्पलशुदा पदार्थ की जांच करवाने हेतु भिजवाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो फूड एनालाईसिसं की रिपोर्ट परिवाद के साथ प्रस्तुत की है, जिसमें उक्त पदार्थ सबस्टेण्डर्ड पाया गया है, का कोई उल्लेख नहीं किया है। सैम्पल शुदा पदार्थ की दो बार प्रयोगशाला में जांच हुई है और दोनों बार अलग–अलग तरह की रिपोर्ट आयी है। दोनों प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट अलग–अलग होने के कारण दोनों रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ मिलावटी नहीं पाया गया है और ना ही किसी प्रकार से जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना पाया गया है। केवल मात्र सबस्टेण्डर्ड होना बताया गया। अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विधि विरूद्ध एवं आधा–अधूरा होने से खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए अप्रार्थीगणों के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जाकर दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान करें।

आदेश जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

7. इसके खण्डन में स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि निरीक्षण कार्य 28.08.2016 को 12.30 पीएम अप्रार्थी स्थल पर किया गया था जहां वरवक्त निरीक्षण 500 एमएल के 5 पैकेट घी (हरियाणा किंग्स) आमजन को विक्रय हेतु रखा गया था। इस घी (हरियाणा किंग्स) का नमूना लेने हेतु अप्रार्थी पक्ष के सामने प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना की गई अर्थात नमूना गवाहान की उपस्थिति में लिया गया। उक्त नमूना पैकेट जो प्रत्येक 500 एमएल घी (हरियाणा किंग्स) के चार पैकेट लिया गया जिसकी कुल कीमत 780/– रूपये का भुगतान कर अप्रार्थी विक्रेता से खरीद रसीद प्राप्त किया गया था। प्राप्त घी (हरियाणा किंग्स) का नमूना चार भागों में विक्रेता व गवाह के सामने नियमानुसार पृथक–पृथक सील्ड मोहर किया जाकर गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये थे। निरीक्षण स्थल पर ही विक्रेता, गवाहान के समक्ष समस्त कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। विभागीय प्रतिनिधि का यह भी तर्क है कि नमूना केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को नियमानुसार वास्ते जांच हेतु भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः जांच करवाने के संबंध अप्रार्थीपक्ष को नियमानुसार सूचित किया गया था। अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच के संबंध में निवेदन किये जाने पर दूसरा नमूना जांच परिणाम हेतु सीएफएल लेब पूने को भेजा गया। प्रथम जांच के परिणाम में नमूने में लिया गया पदार्थ अनसेफ पाया गया एवं द्वितीय जांच के परिणाम में नमूने में लिया गया पदार्थ सबस्टेण्डर्ड पाया गया। विभागीय प्रतिनिधि का इस संबंध में कथन है कि प्रथम नमूना यथासंभव बाद जांच भेजा गया था जिसका परिणाम आने के बाद द्वितीय नमूना अप्रार्थीपक्ष के निवेदन पर भेजा गया था। नमूना जांच में जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसका लाभ अप्रार्थीपक्ष नहीं उठा सकता क्योंकि दोनों ही जांचों से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीपक्ष के यहां से वरवक्त निरीक्षण जो नमूने लिये गये थे उसमें उसकी जांच से मिलावट होना पाया गया है अर्थात पहली जांच में अनसेफ होना एवं द्वितीय जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। ऐसा पदार्थ एक मिलावट का पदार्थ है जो मानव उपयोग के लिये हानिकारक है। उक्त दोनों जांच रिपोर्टो से अप्रार्थीपक्ष के यहां से लिये गये नमूनों में शुद्धता नहीं पाई गई है। विभागीय प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि अप्रार्थीपक्ष के द्वारा एफएसएस एक्ट की धारा 26(2)ा का जुर्म कारित किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टिया प्रमाणित होना पाया जाता है इसलिए अप्रार्थीपक्ष को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित किये जाने की इस्तदुआ की गई।

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निर्विवाद है कि दिनांक 28.08.2016 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी पक्ष के यहां वरवक्त निरीक्षण 500 एम.एल. घी (हरियाणा किंग्स) के करीब 5 पैकेट मिलना भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है। जहां तक अप्रार्थी पक्ष का यह कथन की निरीक्षण के द्वारा नमूने लिये जाने के समय प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों एवं एफएसएस एक्ट पूर्ण पालना नहीं की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है। वरवक्त निरीक्षण नमूनें लिये जाते समय एफएसएस एक्ट एवं प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना निरीक्षण प्रार्थी द्वारा की गई है। नमूनें अप्रार्थी एवं गवाहान की उपस्थिति में लिये गये है। लिये गये नमूनें में से प्रथम नमूना नियमानुसार जांच हेतु भेजा

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

गया है जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 01.09.2016 के अनुसार जांच परिणाम के अनुसार अनसेफ फूड पाया गया है। यह जांच रिपोर्ट आने के पश्चात एफएसएस एक्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ही स्टेट द्वारा अप्रार्थीपक्ष को अवगत करवाया गया है। इस पर अप्रार्थी पक्ष द्वारा पुनः जांच का आवेदन किया जाकर नियमानुसार शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात् द्वितीय नमूना पुनः जांच हेतु पूने लेब में भिजवाया गया। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 09.01.2017 प्राप्त हुई जिसकी जांच परिणाम अनुसार घी (हरियाणा किंग्स) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। इस संबंध में अप्रार्थी पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि इन रिपोर्टो के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध कोई दोष प्रकट नहीं होता है पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी का यह कथन किसी भी दृष्टिकोण से मान्य नहीं है क्योकिं प्रथम जांच परिणाम के अनुसार अनसेफ फूड होना पाया गया है जबकि लेबोरेट्री पूना से पुनः जांच करवाई गई जांच में लिये गये नमूने पदार्थ में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। पत्रावली में डायरेक्टर, रेफरेल फूड लेबोरेटी, पुणे के यहां से भी जांच करवाई गई जिसकी रिपोर्ट क्रमांक CFL/PO-390/16/31/2017 दिनांक 09.01.2017 के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाये गये घी (हरियाणा किंग्स) में Butyro refractometer reading 40.0 to 43.0 की तुलना में 46.7 व Reichert Value Shall be Min. 26.0 की तुलना में 8.88 तथा Baudouin Test - Shall be Negative की तुलना में Positive पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां पाया गया घी (हरियाणा किंग्स) सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का घी (हरियाणा किंग्स) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है इन दोनों ही जांचों से वरवक्त निरीक्षण मिला घी (हरियाणा किंग्स) मानव उपयोग के लिये हानिकारक है, जो की एफएसएस की धारा 26(2)ii के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

9. यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरिये परिवाद कार्यवाही दायर की गई है। प्रार्थी स्टेट द्वारा परिवाद अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में प्रार्थी पक्ष की ओर से उल्लेखित तथ्यों का कोई ठोस खण्डन अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी पक्ष की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा घी (हरियाणा किंग्स) सबस्टेण्डर्ड विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंधन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये **1.00,000/– अखरे एक लाख रूपये** की शास्ति आरोपित करते है।

10. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर
बीकानेर

Scanned by CamScanner

11. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ा) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 3 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से रूपये **50,000/– अखरे पचास हजार** रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 3 को दायी घोषित किया जाता है।

12. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरक एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री घी (हरियाणा किंग्स) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय/वितरण किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ा) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 3 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 50,000/– रूपये में से अप्रार्थी संख्या 2 वितरक की शास्ति रूपये **30,000/–** रूपये यानि अप्रार्थी संख्या 2 भरने हेतु दायी होगा तथा शेष आरोपित शास्ति **20,000/–** अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता भरने हेतु दायी होगा।

13. इस प्रकार कुल आरोपित **1.00,000/–** रूपये की शास्ति में से **अप्रार्थी संख्या 3** (विनिर्माता) की शास्ति राशि **50,000/– रूपये (अखरे रूपये पचास हजार मात्र)** एवं **अप्रार्थी संख्या 2 वितरक 30,000/–** रूपये (अखरे रूपये तीस हजार मात्र) तथा **अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता) 20,000/–** रूपये (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) की शास्ति अदा करेगें।

14. इसके साथ–साथ अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रर्मियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

15. निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा) बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner